POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2024-26 (RNI.REG.NO 39658/1983) #ग्रा.ग./2024/अंक 05

मासिक प्रेषण दि. 8 मई, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016

प्रकाशन की तिथि : 01 मई, 2024 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम!

हाल ही उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने सभी उपभोक्ता अदालतों को 15 अप्रेल, 2024 से मामलों की ऑनलाइन सुनवाई शुरू करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवाराण आयोग (एनसीडीआरसी) ने इस सुनवाई के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) उपभोक्ता मामलात मंत्रालय का एक स्वतंत्र निकाय है, जो मंत्रालय को रिपोर्ट करते हुए विभिन्न उपभोक्ता नीतिगत मामलों व समस्याओं पर सलाह और फैसले देता है। सीसीपीए ने सभी 35 राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की 10 पीठों में ई-कॉर्ट सेवाएं शुरू करने की तैयारी की है। उम्मीद की जाती है कि इस फैसले से उपभोक्ताओं के लिए अपनी शिकायतों का समाधान करना आसान हो जाएगा। साथ ही उनका समय और पैसा भी बचेगा।

गौरतलब है कि एनसीडीआरसी दो करोड़ रुपए से अधिक के मुआवजों के मामलों की सुनवाई करता है। जबकि राज्य उपभोक्ता विवाद निवाराण आयोग (एससीडीआरसी) 50 लाख से 2 करोड़ रुपए के बीच के मामलों को सुनता है। जिला उपभोक्ता विवाद निवाराण आयोग (डीसीडीआरसी) के पास उन मामलों का अधिकार क्षेत्र है जिनमें मुआवजे में 50 लाख रुपए तक का प्रावधान है।

ऑनलाइन सुविधा की शुरुआत एवं उपभोक्ता शिकायतों पर सुनवाई इस तकनीक के युग में क्रांतिकारी फैसला है, जो कि ईमानदारी से लागू होने पर सभी पीड़ित उपभोक्ताओं को त्वरित न्याय देने की दिशा में कारगर सिद्ध होगा तथा उनको विभिन्न आयोगों के चक्कर लगाने की झंझट से भी छुटकारा दिलाने में सहायक होगा।

गांव-गांव में देंगे कानूनी जानकारी और सलाह

'ग्राम गदर' से हो रहे हैं जागरूक

गौरतलब है राजस्थान में वर्ष 1983 में 'ग्राम गदर' भित्ती-पत्र का प्रकाशन शुरू किया गया था। यह भित्ती-पत्र तभी से अनवरत प्रत्येक माह राजस्थान के दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में भिजवाया जाता रहा है।

जिसमें ग्रामीणों को उनके हक में बने कानूनी अधिकारों एवं विभिन्न कानूनी जानकारियों आदि का भी सरल शब्दों में प्रकाशित किया जाता रहा है। इसे पढ़कर ग्रामीण भाई-बहिन जागरूक हो रहे हैं और फायदा भी उठा रहे हैं।

ग्रामीण आबादी आज भी कानूनी अधिकारों और समझ से अछूती है। उन्हें कानूनी रूप से समझदार बनाने के लिए केंद्र सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसके पहले चरण में 2.50 लाख ग्राम पंचायतों में हर घर तक कानूनी सलाह और मदद पहुंचाई जाएगी। कानून के जानकार 22 भाषाओं में ग्रामीणों को एक साल तक न्याय उपलब्ध कराएंगे।

इसके लिए देश में 460 न्याय सहायक नियुक्त किए गए हैं। यह सभी वकील हैं। इन्हें मानदेय भी मिलेगा। ये लोग हर ग्राम पंचायत में जाकर लोगों को कानूनी सलाह और उनकी मदद करेंगे। साथ ही उन्हें सिविल और आपराधिक विवादों की कानूनी जानकारी भी देंगे। उन्हें गांव के लोगों को कानूनी साक्षर बनाने की जिम्मेदारी भी दी गई है। ये ग्रामीणों के बीच हर महीने कम से कम 5 बैठकें करेंगे। इनमें निःशुल्क कानूनी सुविधाओं और कानूनी अधिकारों की भी जानकारी दी जाएगी।

ऑपरेशन में बरती लापरवाही, अस्पताल पर लगा जुर्माना

जयपुर जिला उपभोक्ता आयोग (द्वितीय) में कृष्ण अवतार मालाणी ने सीकर रोड स्थित मणिपाल अस्पताल के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया। परिवाद में बताया गया कि 8 फरवरी 2022 को पेट में दर्द होने पर हॉस्पिटल में डॉक्टर दिव्य रतन धवन को दिखाया। डॉक्टर ने बताया कि उनकी बांयी ओर किड़नी के यूरेटर में पथरी है। दूरबीन के जरिए उसका सामान्य ऑपरेशन कर पथरी को निकाल दिया जाएगा। कोई परेशानी भी नहीं होगी। लेकिन ऑपरेशन करने के बाद उनका यूरीन बन्द हो गया। दोबारा दिखाने पर ट्यूब के जरिए यूरीन निकाल दिया और दवा देकर डिस्चार्ज कर दिया। इसके बाद उनके यूरीन में दर्द व ब्लडिंग होने लगा। दुबारा भर्ती होने पर भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली। तब दूसरी जगह दिखाया तो पता चला कि किडनी में छेद हो गया है। इसके इलाज में 3.10 लाख रुपए खर्च हुआ।

मामले की सुनवाई पर उपभोक्ता आयोग ने ऑपरेशन के दौरान लापरवाही से मरीज की किडनी में छेद करने को गंभीर सेवा दोष माना। आयोग ने मणिपाल हॉस्पिटल पर 15.50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही निर्देश दिया कि वह मरीज के इलाज में खर्च हुए 3.10 लाख रुपए भी उसे 9 फीसदी वार्षिक ब्याज सहित वापस लौटाए।

जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता कार्यशाला आयोजित

बैंक उपभोक्ता धोखाधड़ी से बचने के लिए बरते सावधानी

भारतीय रिजर्व बैंक के सहयोग से 'कट्स' मानव विकास केंद्र द्वारा चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ी सादड़ी में जमाकर्ता शिक्षा जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए जिला प्रबंधक अशोक कुमार देवनानी ने बैंक ग्राहकों को बैंकिंग धोखाधड़ी से बचने के लिए जागरूक रहने की आवश्यकता बताई।

उन्होंने कहा कि बैंक से नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग एवं वालेट्स से धनराशि निकालने व जमा कराते समय अधिक सावधानी रखनी चाहिए। जरा सी भी असावधानी बरतने पर धोखेबाज उसका फायदा उठाने में पीछे नहीं रहते।

उन्होंने ऐसी स्थिति में इससे बचने के तरीके और धोखेबाजी से हुए नुकसान के लिए समय पर बैंकों को शिकायत करने और उनके समाधान के तरीकों की जानकारी देते हुए जागरूक रहने की सलाह दी। मुख्य वक्ता के रूप में नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक महेन्द्र डूडी ने बचत के तरीके, आम जनता की गाढ़ी कमाई की सुरक्षा के तरीके और विभिन्न प्रकार के बैंक खातों की जानकारी दी और उनके फायदे बताए। साथ ही स्मार्टफोन यूजर उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी से बचने के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी।

इस अवसर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बड़ी सादड़ी के शाखा प्रबंधक दिनेश शर्मा ने ऑनलाइन बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और केवाईसी आदि की जानकारी दी। 'कट्स' के सह निदेशक दीपक सक्सेना द्वारा बैंकों के डेफ कोष और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उससे संचालित इस परियोजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।

कार्यशाला में अन्य प्रतिभागियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यशाला का संचालन मदन गिरी गोस्वामी ने किया। कार्यशाला में स्कूली छात्र-छात्राओं, स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों एवं किसान उत्पादक संगठनों के सदस्यों सहित 66 लोगों ने भाग लिया।

ग्रामीण पर्यटन के लिए बनी नीति

प्रदेश में पर्यटन विभाग ने नई पर्यटन नीति लागू की है। जिसमें ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कोटा जिले में पहली ग्रामीण पर्यटन इकाई डाबरी कला में तैयार हुई है। गांव के नजदीक खेतों के बीच 65 बीघा जमीन पर यह डेस्टिनेशन तैयार किया गया है, जिसमें अमेरिका व फ्रांस समेत अन्य यूरोपीय देशों के पर्यटक आने लगे हैं।

इसमें स्वीमिंग पूल और पत्थरों से बनी चार कुटियाएं हैं, जो हाड़ौती के गांवों के स्थापत्य का परिचय कराती हैं। हर झोंपड़ी (कॉटेज) में एक ओर खुला आंगन है और कमरें में दो व्यक्तियों के लिए बेड, आलमारी एवं लेखन मेज-कुर्सियों आदि से अच्छी तरह सुसज्जित है। जहां से बगीचों का मनमोहक दृश्य दिखाई देता है। पर्यटकों को हाड़ौती की कला संस्कृति व ऐतिहासिक एवं आमोद-प्रमोद के स्थानों पर भ्रमण कराने की भी व्यवस्था है।

चुनाव बाद जारी होगी सम्मान निधि

प्रदेश में पीएम किसान सम्मान निधि योजना में नए किसानों को जोड़ने के लिए सरकार की ओर से अब आवेदन करने वाले किसानों के भूमि विवरण सत्यापन, बैंक आधार सीडिंग, ई-केवाईसी पूरी करवाने तथा वंचित किसान आवेदन के लिए पीएम किसान सेचुरेशन केंप लगाए जाएंगे।

अंतरिम बजट में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना में किसानों को देय सहायता प्रति परिवार 6 हजार रुपए से बढ़ाकर 8 हजार रुपए करने की घोषणा की है। इसका फायदा अगले वित्तीय साल में मिल पाएगा। प्रदेश में करीब 80 लाख किसान हैं, इसमें से करीब 13 लाख किसान सरकारी नौकरी व आयकर दायरे में आ गए। ऐसे किसान योजना के दायरे से बाहर हो गए हैं।

प्रदेश के गांवों तक पहुंचा नल से जल

जल जीवन मिशन से प्रदेश के 50 लाख घरों तक नल से जल पहुंचने लगा है। पिछले दो महीने में मिशन के तहत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के 1.90 लाख घरों तक नल से पेयजल की उपलब्धता हुई है। साथ ही 563 गांवों का हर घर जल योजना में प्रमाणीकरण कर दिया गया है।

जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने बताया कि आगामी दो वर्षों में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के शेष रहे 38 लाख 35 हजार घरों में स्वच्छ व निर्बाध पेयजल सप्लाई होने लगेगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभाग ने ग्रामीण क्षेत्र के 25 लाख घरों में योजना के तहत नल से जल देने का लक्ष्य रखा है।

बंजर जमीन पर खिला दी बगिया

पाली के सुमेरपुर रोड पर केमिकल से बंजर हो चुकी भूमि पर एक उद्यमी ने हर्बल बगिया खिलाकर साबित कर दिया कि ऐसी भूमि का गोबर की खाद से उपचार किया जा सकता है। आज उनके बगीचे में ऐसे पेड़-पौधे लगे हैं जो मारवाड़ क्षेत्र में बहुत कम होते हैं। यह बगीचा लोगों के लिए प्रेरणा बना है।

उद्योगपति विनय बम्ब को कोरोना काल में यहां बगीचा लगाने का विचार आया। पहले उनकी यहां फैक्ट्री थी। उन्होंने भूमि पर गोबर की खाद डाली और पत्नी के साथ मिलकर पौधरोपण किया। आज बगीचे में करीब 500 किस्म के पेड़-पौधे लगे हैं और भरपूर फल दे रहे हैं। जिनमें अंजीर, अनार, आम, चीकू, ड्रैगन फ्रूट, अमरूद, पपिता, खजूर आदि के अलावा सौंफ, चंदन, अजवाइन, गिलोय और सहजन जैसे कई औषधीय पौधे भी लगे हैं।

ऑर्गेनिक में नहीं होगा फर्जीवाड़ा

ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थों के नाम पर अब फर्जीवाड़ा नहीं हो सकेगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) ने सभी परीक्षण सुविधाओं और प्रयोगशालाओं को सख्ती से निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया है।

ऑर्गेनिक खाने-पीने की चीजों से छेड़छाड़ करने वालों के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं। इसके तहत बाजार में नकली उत्पाद लाने वालों को 2 से 10 साल तक की सजा हो सकती है। एफएसएसएआइ ने नकली ऑर्गेनिक उत्पादों की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए आदेश जारी किए हैं। इसके मुताबिक उत्पादों को प्रमाणित करने की आवश्यकता है। गलत ब्रांडिंग के लिए 3 लाख रुपए और भ्रामक विज्ञापन के लिए 10 लाख रुपए तक का जुर्माना है।

बच्चे हो रहे कुपोषण के शिकार

प्रदेश में बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए सरकार कई स्तर पर प्रयास कर रही है। लेकिन अनेक योजनाओं और माध्यमों मसलन आंगनबाड़ी और स्कूलों में पोषाहार खिलाने, गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व पोषाहार देने आदि पर हर साल हो रहे मोटे खर्चे के बावजूद धरातल पर सही परिणाम सामने नहीं आना चिंताजनक है।

राज्य में अब भी 1.94 लाख बच्चे कुपोषित है। हाल ही जारी ताजा पोषण ट्रेकर रिपोर्ट इसका खुलासा करती है। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे अधिक 12976 कुपोषित बच्चे उदयपुर में हैं, जिनमें 3483 बच्चे अति गंभीर रूप से कुपोषित की श्रेणी में है। दूसरे स्थान पर दौसा जिला है जिसमें 12459 कुपोषित और 3477 बच्चे अति कुपोषित है। बांसवाड़ा 10063 कुपोषित व 3594 अतिकुपोषित बच्चों के साथ तीसरे स्थान पर है। अन्य जिलों में भी करीब-करीब ऐसी ही स्थिति है।

संकट में अरावली पर्वतमाला

अरावली पर्वतमाला अवैध खनन, ग्लोबल वार्मिंग व अतिक्रमण के चलते संकट में है। यह पुष्कर-अजमेर, नागौर-सिरोही, राजसमंद, ब्यावर, डूंगरपुर, अलवर, उदयपुर, चितौड़गढ़ माउंटआबू समेत प्रदेश के विभिन्न इलाकों में फैली है।

इस पर पैदा होने वाली वनस्पतियों से आयुर्वेदिक दवाएं बनती है। अब कई फलदार पेड़-पौधे और वनस्पतियां समाप्त हो गई है। इससे अरावली के तापमान में भी 2 से 5 डिग्री की वृद्धि हो गई। इन क्षेत्रों में पहले बड़ी संख्या में छोटे-बड़े प्राकृतिक झरने बहते थें। अब अरावली पर्वतमाला 50 प्रतिशत तक खोखली हो चुकी है। यह एक बड़ी चिंता का विषय है। इस पर सरकार और नागरिकों को ध्यान देना होगा, वरना यही हालात रहे तो 30-40 सालों में इसका अस्तित्व सिमट जाएगा।

प्रदेश के हर जिले में बनेंगे एक्सपोर्ट हब

राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में एक्सपोर्ट जोन बनाए जाएंगे। इसके लिए सरकार द्वारा एक जिला, एक उत्पाद नीति (ओडीओपी) का मसौदा तैयार किया जा चुका है। इससे हर जिले में वहां के खास उत्पाद विदेशों तक निर्यात हो सकेंगे।

वर्तमान में प्रदेश के 33 जिलों से 41 उत्पादित वस्तुओं का चयन किया गया है। जैसे कोटा से कोटा डोरिया साड़ी, बीकानेर से भुजिया व पापड़, बूंदी से बासमती चावल आदि। ऐसे उत्पादों को ओडीओपी के जरिए राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय बाजारों में आगे बढ़ाया जाएगा। नीति के तहत उद्योगों को रियायतें देने से प्रदेश में निर्यात आधारित नए उद्योग लगेंगे। इससे निवेश के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। माना जा रहा है, यह नीति प्रदेश के लिए वरदान साबित होगी।

सोलर पम्प पर मिलेगी सब्सिडी

प्रदेश के 50 हजार से ज्यादा किसानों को कुआं व ट्यूबवेल पर लगने वाले सोलर पम्प पर सब्सिडी दी जाएगी। इससे किसानों को सिंचाई के लिए बिजली की उपलब्धता पर निर्भर नहीं रहना होगा।

इसके लिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा किसानों को खेतों में सोलर पम्प लगाने पर 60 प्रतिशत व अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु राज्य मद से 45 हजार रुपए का प्रति कृषक अतिरिक्त अनुदान दिया जाता है। सोलर पम्प के लिए करीब 50 हजार किसानों को स्वीकृतियां जारी की गई है। इस पर करीब 1830 करोड़ रुपए खर्च होगा।

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485